ANNEXURE - 1

नवीकरण प्रमाण पत्र का ...

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 1102 दिनांक 29/5/17

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या MBD- 317 पत्रावली संख्या MBD- 16857 दिनांक ../05/2017

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नसीरन मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी

पता– बिजनौर चौराहा नूरपुर पो0 खास, तह0 चान्दपुर जिला बिजनौर। को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 67/2007-08 दिनांक 30/0. 200. को दिनांक 30/05/2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया

1100/- रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 27/05/2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
/उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1574)–2,00,000 प्रतियां–(क ...)

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AB 928372

यह सनदपत्र [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
एवं नोटरी [illegible]
[illegible] मुरादाबाद
10/01/11

Photo Copy Attested
SHATISH
Notary Chandpur

SECRETARY
Naseran Memorial

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy
[illegible]

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : नसीरन मैमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी

2. संस्था का पता : बिजनौर रोड, नूरपुर पौरुड़ खास, तह0 चांदपुर, जिला बिजनौर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।

4. संस्था के उद्देश्य :

1. समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना तथा निम्न स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. छात्रों को वर्तमान प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करना तथा उनमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करना।
3. निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना तथा उनकी छात्रवृत्ति का प्रबन्ध करना।
4. छात्रों के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय आदि की स्थापना करना।
5. छात्रों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।
6. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
7. छात्रों के विकास हेतु खेलकूद का आयोजन करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को उपयोगी बनाने हेतु उचित परामर्श देना।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था करना।
10. ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
11. विकलांग एवं मंद बुद्धि युवक एवं युवतियों को कुटीर उद्योगों जैसे सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग एवं अन्य दस्तकारी उद्योगों का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना तथा उनको कृत्रिम अंग व उपकरण निःशुल्क प्रदान करना।
12. मुस्लिम छात्र एवं छात्राओं को उर्दू, फारसी, अरबी व दीनी व दुनियावी तालीम की व्यवस्था करना तथा मदरसे का संचालन करना।
13. सरकार द्वारा चलाये जा रहे पल्स पोलियो अभियान में सहयोग प्रदान करना।
14. वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था करना एवं आश्रय स्थल की व्यवस्था करना।
15. समाज में फैलने वाली भयंकर बीमारियों जैसे कैंसर, एड्स एवं अन्य जानलेवा बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा समय-समय पर सेमिनारों का आयोजन करके निःशुल्क दवायें वितरण करना।
16. संस्था द्वारा शिक्षा के विकास हेतु नॉट फॉर प्रॉफिट के आधार पर कार्य किया जायेगा।
17. हिन्दुस्तानी मुसलमानों विशेषतः सुन्नी मुसलमानों के लिये अरबी-फारसी आदि के इमामी मदारिस (दीनी) स्थापित करना तथा देशवासियों के लिए प्राइमरी शिक्षा से डिग्री कॉलेज तक ऐसे मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालय स्थापित करना जैसा भारतीय संविधान की धारा-30(1) में दिया है। मुस्लिम बच्चों को वर्तमान समय के अनुसार इन अल्पसंख्यक विद्यालयों में उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि

मो० आरिफ Naseran Me...

Photo Copy Attested
SHATISH
Notary Chandpur

MANAGER
MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

PRINCIPAL
...Pharmacy

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

78AA 772745

यह जनरल स्टाम्प पेपर संस्था ~~[illegible]~~ ~~है प्रति पत्र नियमावली की प्रमाणित~~ [illegible]
छवि के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

ATTESTED

SECRETARY
Naseran Memorial Educational Socity

Photo Copy Attested
SHATISH
Notary Chandpur

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy

नसीरान मैमोरियल
एजूकेशनल सोसाइटी
नूरपुर जि० बिजनौर (यू० पी०)

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम व पते व्यवसाय जिसको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

वर्ष 2009–10

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	मौ० हारून	निजामुद्दीन	अथाई अहीर पो० खटाई जिला बिजनौर	अध्यक्ष	कृषि
2	मौ० अय्यूब	अब्दुल हक	मौ० इस्लामनगर नूरपुर जिला बिजनौर	उपाध्यक्ष	कृषि
3	जियाउद्दीन	अब्दुल वहीद	मौ० रामनगर नूरपुर जिला बिजनौर	प्रबन्धक	कृषि
4	फिरोजा खातून	निजामुद्दीन	ग्राम गल्ला खेड़ी पो० ताजपुर बिजनौर	उपप्रबन्धक	कृषि
5	फजलुर रहमान	[illegible]	मौ० गांधीनगर नूरपुर जिला बिजनौर	कोषाध्यक्ष	कृषि
6	मौ० आरिफ	[illegible]	मौ० यूसुफनगर नीमला जागीर बिजनौर	सदस्य	कृषि
7	हामिद अली	[illegible]	ग्राम नगरी सम्भीपुर मुरादाबाद	सदस्य	कृषि
8	रिहाना खातून	[illegible]	मौ० इस्लामनगर नूरपुर बिजनौर	सदस्य	कृषि
9	मौहम्मद फारूख	अब्दुल वहीद	मौ० इस्लामनगर नूरपुर बिजनौर	सदस्य	कृषि
10	शमीम अहमद	मुस्तफा	ग्राम गल्ला खेड़ी पो० ताजपुर बिजनौर	सदस्य	कृषि
11	इकबाल अहमद	सत्तार अहमद	स्थाना शिकारपुर जिला बिजनौर	सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

ATTESTED

SUB REGISTRAR
CHANDPUR
U.P.

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

SECRETARY
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur

PRABHU DEV ... (Notary)
CHANDPUR
Notary Chandpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मु० ब०, मुरादाबाद
29/3/24

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy
Noorpur (Bijnor)

स्मृति पत्र

1.	संस्था का नाम	: नसीरन मैमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी
2.	संस्था का पता	: बिजनौर चौराहा मौहल्ला नूरपुर पोस्ट खास तहसील चांदपुर जिला बिजनौर ।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	: समस्त उत्तर प्रदेश ।
4.	संस्था के उद्देश्य	:

1. समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा निम्न स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना ।
2. छात्रों को वर्तमान प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करना तथा उनमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करना ।
3. निर्धन छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना तथ उनकी छात्रवृत्ति का प्रबन्ध करना।
4. छात्रों के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय आदि की स्थापना करना ।
5. छात्रों को निशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना ।
6. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
7. छात्रों के विकास हेतु खेलकूद का आयोजन करना ।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को उपयोगी बनाने हेतु उचित परामर्श देना ।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व निशुल्क पेयजल की व्यवस्था करना ।
10. ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलबध कराने का प्रयास करना।
11. विकलांग एवं मंद बुद्धि युवक एवं युवतियों को कुटीर उद्योग जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग एवं अन्य दस्तकारी उद्योगों का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना तथा उनको कृत्रिम अंग व उपकरण निशुल्क प्रदान करना ।
12. मुस्लिम छात्र एवं छात्राओं को उर्दू फारसी अरबी व दीनी व दुनियावी तालीम की व्यवस्था करना तथा मदरसे का संचालन करना ।
13. सरकार द्वारा चलाये जा रहे पल्स पोलियो अभियान में सहयोग प्रदान करना ।
14. वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के लिये निशुल्क खानपान की व्यवस्था करना एवं आश्रय स्थल की व्यवस्था करना ।
15. समाज में फैलने वाली भयंकर बीमारियों जैसे कैंसर, एड्स एवं अन्य जानलेवा बीमारियों के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना तथा समय समय सेमिनारों का

मो० तारिक
عامر علی
मो० अय्यूब
فضل الرحمن
हामिद अहमद
लालबहादुर सिंह
मो० आरिफ
محمد فاروق

सत्य प्रतिलिपि

SECRATARY
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur

Photo Copy Attested
KHATISH
Notary Chandpur

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

SECRATARY
Naseran Mem

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, बरेली

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy
Noorpur (Bijnor)

आयोजन करके निशुल्क दवायें वितरण करना ।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम व पते व्यवसाय जिसको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है –

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	मौ० हसन	निजामुद्दीन	अभाई अहीर पो. अभाई जिला बिजनौर	अध्यक्ष	कृषि
2.	मौ० अय्यूब	अब्दुल हक	मौ० इस्लाम नगर नूरपुर जिला बिजनौर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	नियाजुद्दीन	अब्दुल रशीद	मौ० रामनगर नूरपुर जिला बिजनौर	प्रबन्धक	कृषि
4.	रामपाल सिंह	महाराज सिंह	ग्राम अभाई अहीर पो. अभाई जिला बिजनौर	उपप्रबन्धक	कृषि
5.	फजलुर रहमान	जमीलुद्दीन	मौ० गांधी नगर नूरपुर बिजनौर	कोषाध्यक्ष	कृषि
5	मौ० आरिफ	सईद अहमद	मौ० मुहल्ला नगर पीपली जागीर बिजनौर	सदस्य	कृषि
6.	शाहिद अली	हुन्दु हुसैन	ग्राम उमरी सूखीपुर मुरादाबाद	सदस्य	कृषि
8.	लाल बहादुर सिंह	भगवत सिंह	ग्राम मौअज्जमपुर नूरपुर बिजनौर	सदस्य	कृषि
9.	मौहम्मद फारूक	अब्दुल वहीद	मौ० इस्लाम नगर नूरपुर जिला बिजनौर	सदस्य	कृषि
10.	शमीम अहमद	मुस्तफा	ग्राम गल्ला खेड़ी नाजपुर बिजनौर	सदस्य	कृषि
11.	सतीश कुमार शर्मा	राधेश्याम	ग्राम गल्ला खेड़ी नाजपुर बिजनौर	सदस्य	कृषि

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उत्तर प्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

Notary Chandpur

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy
Noorpur (Bijnor)

नियमावली

1. संस्था का नाम : नसीरन मैमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी

2. संस्था का पता : बिजनौर चौराहा [illegible] नूरपुर पोस्ट खास तहसील चांदपुर जिला बिजनौर ।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।

4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र/के अनुसार ।

5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यो के वर्ग

इस संस्था मे निम्न प्रकार सदस्य होंगे प्रत्येक सदस्य को बालिग होना आवश्यक है ।

1. आजीवन सदस्य : संस्था को एक बार में मुबलिग 2000/- अथवा इतनी ही कीमत की सम्पत्ति देने वाले व्यक्ति स्थायी सदस्य कहलायेगे ।

2. विशिष्ठ सदस्य संस्था को एक बार में मुबलिग 1000/- अथवा इतनी ही कीमत की सम्पत्ति देने वाले व्यक्ति स्थायी सदस्य कहलायेगे ।

3. साधारण सदस्य : संस्था को 100/- रूपये वार्षिक देने वाले व्यक्ति साधारण सदस्य कहलायेगे ।

6. सदस्यता की समाप्ति :

1. किसी सदस्य के पागल हो जाने व दिवालिया हो जाने ।
2. संस्था के अहित कार्य करने पर ।
3. संस्था के नियमो का उल्लघंन करने पर ।
4. न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित होने पर मृत्यु हो जाने पर
[illegible] पत्र देने पर
[illegible] स्वीकार होने पर संस्था की मीटिंगों में तीन बार अनुपस्थित होने पर सदस्यता [illegible] हो जायेगी ।

संस्था [illegible] :
अ- [illegible] सभा ब- प्रबन्ध कारिणी समिति ।
अ- [illegible]रण सभा
[illegible] साधारण सभा में सभी प्रकार के सदस्यों को बुलाकर साधारण सभा का गठन होगा ।

बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में दो बार बुलाई जायेगी और विशेष बैठक समयानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : साधारण सभा सूचनाअवधि 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पहले पर्याप्त होगी ।

गणपूर्ति : प्रत्येक बैठक के सदस्यों की कुल संख्या 2/3 सदस्यों से गणपूर्ति समझी जायेगी कोरम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित की जायेगी ।

विशेष वार्षिक बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन होगा । इसमें वार्षिक [illegible] पर विचार किया जायेगा ।

8. साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार :-

1- प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन करना ।
2- आय व्यय बजट को पास करना ।
3- संस्था की तरक्की के लिये कार्यप्रणाली को तैयार करना ।
4- संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये नियमो का निर्धारण करना ।

9. प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष के लिये किया जायेगा जिसमे सदस्यों की संख्या कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी ।

Nase[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

Photo Copy Attested
SHAISH
Notary Chandpur

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

सहायक [illegible]
फर्म्स सोसाइटीज [illegible]
PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy

[illegible] प्रबन्धकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठके होना अनिवार्य है आवश्यकतानुसार विशेष बैठक के लिये [illegible] एजेण्डा सहित सूचना तीन दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य है विशेष बैठक के लिये यह अवधि 24 घंटे पर्याप्त होगी।
[illegible] कोरम पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण समझा जायेगा।
[illegible] रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों द्वारा की जायेगी ।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य</u> :

1- सामान्य सभा द्वारा बैठकों में लिये गये व पारित गये का पालन करना ।
2- संस्था के कार्यों के लिये पूंजी एकत्रित करना ।
3- संस्था की तरक्की के लिये उच्च कोटि के लिये कार्यक्रमों का निर्माण करना ।

कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल 5 वर्ष होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष : सभी बैठको की अध्यक्षता करनी । किसी सदस्य के आरोपित होने पर उसके विरु) कार्यवाही करना। आवश्यकतानुसार सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलाना तथा संस्था के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करना ।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना व उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यों का वहन करना ।

प्रबन्धक : संस्था के समस्त कार्यों को क्रियान्वित करना कागजातों को व्यवस्थित ढंग से रखना। संस्था के हित में समस्त न्यायिक कार्य का संचालन करना संस्था के लिये पत्र व्यवहार करना । ऋण अनुदान प्राप्त करना। सभा की कार्यवाही हेतु तथा संस्था की बैठको का संचालन करना । कर्मचारी की नियुक्ति व अवनति व संस्था के खातों की [illegible] ।

उपप्रबन्धक : प्रबन्धक के कार्यों में सहयोग करना व उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यों का वहन करना ।

कोषाध्यक्ष :- समिति की आय व्यय का सुचारु रूप से हिसाब रखेगा बिल वाउचर की तैयार करना व संस्था के धन को एकत्र करना ।

[illegible] संस्था के खातों संचालन करने का अधिकार : संस्था के धन को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा ।

[illegible] संस्था के नियमों / विनियमों में संशोधन प्रक्रिया : संस्था की नियमावली में किसी प्रकार का परिवर्तन और उद्देश्यों में संशोधन हेतु साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी जिसमें 2/3 बहुमत से पास होने वाले प्रस्ताव से संशोधन परिवर्तन अथवा उप नियम बनाना ।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण : संस्था के आय व्यय सम्बन्धित जांच आडिटर द्वारा कराई जायेगी । तथा बाद जांच उसकी आंख्या प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत होगी ।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही प्रबन्धक पर होगा ।

14. संस्था के अभिलेख :

1- सदस्य रजिस्टर, 2- कार्यवाही रजिस्टर, 3- स्टॉक रजिस्टर कैश बुक आदि ।

15. संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही : यदि किसी समय संस्था समाप्त हो जाये तो संस्था की चल अचल सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा (13/14) के अनुसार की जायेगी ।

दिनांक :
सत्य प्रतिलिपि :

सत्य प्रतिलिपि

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

Notary Chandpur

SECRETARY
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

Nasera[illegible] Socity

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AA 357141

यह जनरल स्टाम्प पेपर संस्था [illegible]
के स्मृति-पत्र/नियमावली की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
19/5/09

SHATISH
Notary Chandpur

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy
Noorpur (Bijnor)

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : नसीरन मैमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : बिजनौर चौराहा नूरपुर पोस्ट खास तहसील चांदपुर जिला बिजनौर ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ०प्र० ।
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

इस संस्था में निम्न प्रकार सदस्य होंगे प्रत्येक सदस्य को बालिक होना आवश्यक है।

1.आजीवन सदस्य – संस्था को एक बार में रु0 2000/– अथवा इतनी ही कीमत की सम्पत्ति देने वाले व्यक्ति आजीवन सदस्य कहलायेंगे ।

2.. विशिष्ट सदस्य : संस्था को एक मुश्त 1000/– रू0 देने वाले व्यक्ति विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे।

3. साधारण सदस्य : संस्था को एक मुश्त 100/– रू0 वार्षिक देने वाले व्यक्ति संस्था के साधारण सदस्य होगें।

सदस्यता की समाप्ति :

1. किसी सदस्य के पागल हो जाने व दिवालिया हो जाने ।
2. संस्था के अहित कार्य करने पर ।
3. संस्था के नियमों का उल्लघंन करने पर ।
4. न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित होने पर मृत्यु हो जाने पर
5. त्याग पत्र देने पर
6. उसके स्वीकार होने पर संस्था की मीटिंगों में लगातार तीन ... पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

7. संस्था के अंग :

अ– साधारण सभा ब– प्रबन्धकारिणी समिति

अ– साधारण सभा

गठन – साधारण सभा में सभी प्रकार के सदस्यों को बुलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें – सामान्य बैठक वर्ष में दो बार बुलाई जायेगी और विशेष बैठक समयानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : साधारण सभा सूचना अवधि 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पहले पर्याप्त होगी ।

गणपूर्ति : प्रत्येक बैठक के सदस्यों की कुल संख्या 2/3 सदस्यों से गणपूर्ति समझी जायेगी कोरम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित की जायेगी ।

विशेष वार्षिक बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन होगा। इसमें वार्षिक आय व्यय पर विचार किया जायेगा ।

साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार :–

– प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन करना ।

SECRAETRY
...an Memorial Educ... Socity

Naseran
MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity

PRINCIPAL
...Janta College of Pharmac...
Noorpur (Bijnor)

आय व्यय बजट को पास करना ।

3– संस्था की तरक्की के लिये कार्यक्रमों को तैयार करना ।

4– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियमों का निर्धारण करना ।

7– प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्येक पांच लिये किया जायेगा जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी ।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होना अनिवार्य है आवश्यकतानुसार विशेष के लिये एजेन्डा सहित सूचना तीन दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य है विशेष बैठक के लि अवधि 24 घंटे पर्याप्त होगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का कोरम पूर्ण समझा जायेगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

1– सामान्य सभा सभा द्वारा बैठकों में दिये गये व दर्शाये गये का पालन करना ।

2– संस्था के कार्यो के लिये पूंजी एकत्रित करना ।

3– संस्था की तरक्की के लिये उच्च कोटि के लिये कार्यक्रमों का निर्माण करना ।

कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल 5 वर्ष होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष : सभी बैठकों की अध्यक्षता करना । किसी सदस्य के आरोपित होने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करन आवश्यकतानुसार सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलाना तथा संस्था के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में अप सहयोग प्रदान करना।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यों का वहन करना।

प्रबन्धक– संस्था के समस्त कार्यो को क्रियान्वित करना कागजातों को व्यवस्थित ढंग से रखना। संस्था के हि में समस्त न्यायिक कार्य का संचालन करना संस्था के लिये पत्र व्यवहार करना ऋण अनुदान प्राप्त करना सभ की कार्यवाही लिखना तथा संस्था की बैठकों का संचालन करना। कर्मचारी की नियुक्ति व अवनति व संस्था के खातों की देखभाल करना।

उप प्रबन्धक– प्रबन्धक के कार्यो में सहयोग करना उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्धक के कार्यो का वहन करना।

कोषाध्यक्ष : संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना । बिल वाउचर की तैयारी करना।

10. बैंक खाता संचालन करने का अधिकार : संस्था के धन को किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा ।

11. संस्था के नियमों / विनियमों में संशोधन प्रक्रिया : संस्था की नियमावली में किसी प्रकार का परिवर्तन और उद्देश्यों में संशोधन हेतु साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी जिसमें 2/3 बहुमत से पास होने वाले प्रस्ताव से संशोधन परिवर्तन अथवा उप नियम बनाना ।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण : संस्था के आय व्यय सम्बन्धित जांच आडिटर द्वारा की जायेगी

True Copy Attested
SHATISH
Notary Chandpur

मो० आरिफ

MANAGER
Nasreen Memorial Educational Socity

सत्य प्रतिलिपि

PRINCIPAL

तथा वाद जांच उसकी आज्ञा प्रबन्धकारिणी समिति से प्रस्तुत होगी ।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व समस्त अदालती कार्यवाही स्थानीय न्यायालय में ही की जायेगी तथा कार्यवाही संचालन का उत्तरदायित्व संस्था की ओर से प्रबन्धक पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख :

1– सदस्य रजिस्टर,

2– कार्यवाही रजिस्टर,

3– स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक आदि ।

15. संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही : यदि किसी समय संस्था समाप्त हो जाये तो संस्था की चल अचल सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा (13 / 14) के अनुसार की जायेगी ।

विशेष नियम (11.05 के अन्तर्गत)

क– महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्ध तंत्र का पदेन सदस्य होगा ।

ख– प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं जिसमें प्राचार्य भी हैं ।

ग– अध्यापक (खण्ड ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य हैं ।

गग– प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा ।

घ– खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे ।

ङ– उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

च– यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतंत्र वैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

छ– महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनेल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी, न्यास बोर्ड या मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिए तैयार है।

दिनांक : 20/11/08

मो० हारुन

فضل الرحمان

मो० आरिफ

सत्य प्रतिलिपि

Photo Copy Attested
SHATISH
Notary Chandpur

MANAGER
Naseran Memorial Educational Socity
Noorpur (Bijnor)

सत्य प्रतिलिपि

Naseran
PRINCIPAL
College of Pharmacy
(Bijnor)

सहायक रजिस्ट्रार